न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम नाथी पत्नी लक्ष्मण जाति मीना नि.लवाण

मिसल न. 10/2023

निर्णय दिनांक-21.08.2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लवाण ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की अतिक्रमियां नाथी पत्नी लक्ष्मण जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण ने ग्राम लवाण के आराजी खसरा न.4828 किस्म सिवायचक बारानी रकबा 0.14 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष खरीफ मे रकबा 0.14 है० पर तारवंदी व कब्जा कर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियां को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमियां स्वयं उपस्थित हुआ । अतिक्रमियां ने अतिक्रमण नहीं होने के संवंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमियां का प्रशनगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखती है अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमियां को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकवे पर अतिक्रमण कर तारबंदी व कब्जे से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.63 रु. का 50 गुना 31.5 रु. अर्थात 32 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं फसल नीलामी व बेदखली हेतु भू.अ,निरीक्षक लवाण एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल लवाण को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 21.08.2023 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शु[illegible] नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2023.08.22 16:31:17 IST
Reason: SelfAttested

(नवल किशोर [illegible])
तहसीलदार लवाण
जि. दौसा (राज.)
तहसीलदार लवाण
जिला दौसा(राज.)